बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

विषयः- **"जल-जीवन-हरियाली अभियान" के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के अनुलग्नक-1 में निर्धारित अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची में संशोधन की स्वीकृति ।**

"जल-जीवन-हरियाली अभियान" के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के अनुलग्नक-1 के क्रम संख्या 02 एवं क्रम संख्या 04 पर निर्धारित अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

I. जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत वर्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराये जा रहे एवं प्रक्रियाधीन संरचनाओं एवं एक एकड़ से बड़े आहरों तथा पइनों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के पाँच एकड़ तक के सभी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (ग्रामीण विकास विभाग) के माध्यम से कराया जा सकेगा ।

II. सभी जिलों में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यों (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, महात्मा गाँधी नरेगा, कार्यपालक अभियंता, महात्मा गाँधी नरेगा, जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग) की एक समिति होगी, जो संकल्प के प्रावधानों एवं उपरोक्त प्रस्तावों के तहत लघु जल संसाधन विभाग एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से क्रियान्वित किये गये एवं क्रियान्वित किये जाने वाले योजनाओं का पृथक्कीकरण, एक योजना का एक से अधिक विभागों द्वारा क्रियान्वयन-दुहराव से बचाव हेतु Geo-tagging एवं क्रियान्वयन की निगरानी तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी ।

III. क्रम संख्या 04 पर निर्धारित अवयव "सार्वजनिक कुँओं / चापाकलों / नलकूपों के किनारे सोख्ता / रिचार्ज / अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण" को "सार्वजनिक कुँओं / चापाकलों के किनारे सोख्ता / रिचार्ज / अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण" से प्रतिस्थापित समझा जायेगा ।

IV. अवयव एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची में आवश्यकतानुरूप संशोधन/परिवर्तन मुख्यमंत्री, बिहार के अनुमोदन से किया जा सकेगा ।

इसपर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.06.2020 को आहूत बैठक की मद संख्या-18 में स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/6/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265964 पटना, बिहार 10.06.2020

ग्रा0वि0-7(JJH)- 09/2019

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

10/6/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265964 पटना, बिहार 10.06.2020

ग्रा0वि0-7(JJH)- 09/2019

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265964 पटना, बिहार 10.06.2020

ग्रा0वि0-7(JJH)- 09/2019

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ अध्यक्ष, सह-सदस्य, राजस्व परिषद्, बिहार/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265964 पटना, बिहार 10.06.2020

ग्रा0वि0-7(JJH)- 09/2019

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/6/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 265964 पटना, बिहार 10.06.2020

ग्रा0वि0-7(JJH)- 09/2019

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

10/6/2020

सरकार के प्रधान सचिव